भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण

बीडा– भदोही

भदोही जनपद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दुकान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

भदोही–मीरजापुर रोड (लुम्बिनी–दुद्धी राष्ट्रीय मार्ग) एवं भदोही– ज्ञानपुर बाईपास रोड के क्रासिंग रजपुरा चौराहा) पर भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) भदोही द्वारा निर्माणाधीन शॉपिंग मार्ट के अन्तर्गत नीलामी पद्धति से दुकानों के आवंटन हेतु निम्न विवरण के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पंजीकरण अवधि दिनांक 06.04.2018 से दिनांक 05.05.2018 तक है।

भदोही व्यावसायिक सह आवासीय मार्ट,

(1) लोअर ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित दुकानें –

क्र0	संख्या	साईज	क्षेत्रफल	अनुमानित कीमत	पंजीकरण धनराशि
1.	32	6.10X3.60 मी0	21.96 वर्ग मी0	1658485.00	170000.00

(2) अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित दुकानें –

क्र0	संख्या	साईज	क्षेत्रफल	कीमत	पंजीकरण धनराशि
1	45	6.10X3.60 मी0	21.96 वर्ग मी0	1637425.00	170000.00

नियम एवं शर्ते :–

1. अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकान संख्या 01 से 04 तक की दुकानों का 10 प्रतिशत एवं कार्नर की दुकान संख्या 5, 19, 24 (डबल शटर) की मूल कीमत में 15 प्रतिशत अतिरिक्त कीमत देय होगी। 2. निर्माणाधीन सभी दुकानों की उपरोक्त कीमत अनुमानित है। निर्माणाधीन दुकानों की कीमत में कमी/वृद्धि सम्भावित है। दुकानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। नियमों व शर्तों को बदलने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा।

3. निर्माण के उपरान्त अन्तिम रूप से कास्टिंग के आधार पर वास्तविक कीमत निर्धारित होगी।

4. सभी दुकानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। पंजीकरण एवं आवंटन से सम्बन्धित नियम व शर्ते एवं आवेदन पत्र से सम्बन्धित आवंटन नियमावली कार्यालय में उपलब्ध है जिसको रू0 500.00 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

5. आवेदक को पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे आर्डर/नगद बीडा भदोही के पक्ष में देय हो पंजीकरण अवधि के अन्दर जमा करना होगा।

6. दो या दो से अधिक दुकान प्राप्त करने हेतु बोली में भाग लेने के लिए अलग–अलग

पंजीकरण कराना होगा। आवेदक को प्रत्येक पंजीकरण के साथ धनराशि रू0 1000.00 डाक्यूमेन्टेशंन शुल्क जमा करनी होगी, जो वापस नहीं की जायेगी।

7. बोली से पूर्व नियम एवं शर्ते पढकर सुनाई जायेगी तथा उसकी एक प्रति पर बोलीदाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर रिकार्ड में रखा जायेगा।

8. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ मात्र एक व्यक्ति को लाने का अधिकार होगा।

9. नीलामी की शर्तो से सहमत / सन्तुष्ट होने पर बोली दाताओं द्वारा बोली प्रारम्भ की जायेगी।

10. एक बार बोली बोलने के पश्चात् उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा और उसी प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी दरों को वापस लेने का अधिकार नही होगा।

11. पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि के सापेक्ष अन्य दुकानों (जिसकी पंजीकरण धनराशि पंजीकृत व्यक्ति की पंजीकरण धनराशि से कम / समान हो) हेतु भी बोली में प्रतिभाग किया जा सकता है परन्तु किसी भी दुकान हेतु सर्वोच्च बोली प्राप्त हो जाने की दशा में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अन्य किसी दुकान हेतु बोली में प्रतिभाग नही किया जा सकेगा।

12. बोली प्रतिवर्ग मी0 / अथवा प्रति सम्पत्ति के न्यूनतम आरक्षित दर / मूल्य के आधार पर की जायेगी और प्रत्येक बोली का न्यूनतम अन्तर रू0 500.00 होगा।

13. नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोलीदाता की बोली शब्दों में अंकित कर समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर की जायेगी तथा यथा सम्भव साक्ष्य के रूप में अन्य अधिकारियों तथा बोली दाताओं के हस्ताक्षर कराये जायेंगें।

14. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली (दर) के अनुसार कुल मूल्य (दुकान) का 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी स्वीकृत होने पर तत्काल अधिकतम एक सप्ताह में जमा करना होगा जिसमें जमा पंजीकरण धनराशि सम्मिलित होगी।

15. अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आंवटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर 04 किस्तों में अनुमन्य ब्याज के साथ जमा करना होगा।

16. निर्धारित किस्तों की देय तिथि पर किस्त जमा न होने पर 18.00 प्रतिशत की दर से विलम्ब ब्याज देय होगा।

17. विक्रय विलेख का समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।

18. आवंटी को दुकान के मूल्य के अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रीपेड लीज रेन्ट एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान करना होगा।

19. आवंटन के पश्चात बोली में सफल व्यक्ति द्वारा दुकान न लेने अथवा धनराशि जमा न करने पर पंजीकरण शुल्क सहित जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

20. निर्मित आवंटित दुकान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / परिवर्धन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमति के बिना नही किया जायेगा।

21. आवंटित दुकान का किसी भी दशा में उप विभाजन नहीं किया जायेगा।

22. नीलामी स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) भदोही में निहित है।

23. विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण हित में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अन्यथा निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी